[2022] एस.सी.आर. 360

कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड

बनाम

नरेंद्र जयंतीलाल त्रिवेदी एवम अन्य

(सिविल अपील संख्या 4026-4027/ 2022)

13 मई 2022

[एम. आर. शाह और बी. वी. नागरत्ना, जे.जे.]

न्याय प्रशासन - कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग - बैंकों और वित्तीय संस्थानों के कारण ऋण अधिनियम, 1993 - वित्तीय संपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 - आयोजितः एक के बाद एक, प्रतिवादी संख्या. 1 द्वारा कई कार्यवाही शुरू की गईं, जिसके द्वारा उन्होंने 1986 से बकाया और देय राशि की वसूली के लिए सरफेसी अधिनियम के तहत बैंक द्वारा शुरू की गई कार्यवाही में देरी की है और वसूली कार्यवाही में विलम्ब हुई - पिछले आदेश में निर्णायक प्राधिकारी द्वारा की गई कड़ी टिप्पणियों के बावजूद- एकल न्यायाधीश द्वारा अपने फैसले में प्रस्तुत की गई और एकल न्यायाधीश द्वारा की गई कड़ी टिप्पणियों के बावजूद खंड पीठ को शुरू में एक पक्षीय अंतरिम राहत देना और उसके बाद, लेटर पेटेंट अपील को वापस लेने पर इसे जारी रखना उचित नहीं था - एक बार जब खंड पीठ ने योग्यता के आधार पर एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया, तो उसके बाद खंड पीठ के लिए यह उपयुक्त नहीं था कि वह प्रतिवादी संख्या 1 को लेटर पेटेंट अपील वापस लेने की अनुमति देने वाला आदेश पारित कर सके और यह भी टिप्पणी कर सके कि कोई भीया चिका को खारिज करते समय डी.आर.टी के साथ-साथ एकल न्यायाधीश द्वारा की गई टिप्पणियों को नजरअंदाज किया जाएगा और उन पर विचार नहीं किया जाएगा - इस तरह की प्रथा की अनुमति देना न केवल अदालत के सामने एक मौका लेने के समान होगा, बल्कि वास्तव में अटकलें और अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। अदालत के समक्ष कार्यवाही वादियों द्वारा मौका लेने के लिए नहीं है - उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित आदेश, जहां तक पैराग्राफ 3 (ii) के संदर्भ में है, 3(iii) और 4 को रद्द कर दिया गया है - इसके अलावा, लेटर पेटेंट अपील में दिया गया एकपक्षीय अंतरिम आदेश भी रद्द कर दिया गया है - 1,00,000- रुपये की खर्च प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा जमा किया जाना है।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार सिविल अपील संख्या 4026/2022

लेटर पेटेंट के अपील संख्या 75/2022 में अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 25.01.2022 से।

साथ

सिविल अपील संख्या 4027/2022

अमर दवे, हिमांशू भूषण- अधिवक्ता अपीलकर्ता के लिए.

सुश्री सोनम आनंद, संतोष कृष्णन, मलक मनीष भट्ट - अधिवक्ता उत्तरदाताओं के लिए.

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

एम. आर. शाह, जे.

स्वीकृत.

1. अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.01.2022 और उसके बाद के आदेश दिनांक 04.03.2022, पत्र पेटेंट अपील संख्या 75/2022 से व्यथित और असंतुष्ट होकर, मूल प्रतिवादी - बैंक ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी।

2. वर्तमान अपील के तथ्य इस प्रकार हैं -

2.1 ऋण की सुविधा। 29,50,000/- पहले भारतीय स्टेट बैंक द्वारा बढ़ाया गया था और बाद में अपीलकर्ता - बैंक को प्रतिवादी नंबर 1 की स्वामित्व वाली फर्म यानी मेसर्स एरोमैटिक्स इंटरमीडिएट्स एंड केमिकल्स को सौंपा गया था। उक्त ऋण सुविधा के लिए सुरक्षा के रूप में, प्रतिवादी नंबर 1 की संपत्ति भारतीय स्टेट बैंक के पक्ष में गिरवी रखी गई थी। प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा बकाया राशि का भुगतान करने में चूक को देखते हुए, बैंक ने अपने बकाया की वसूली और प्रतिभूतियों के प्रवर्तन के लिए वर्ष 1986 में एक दीवानी मुकदमा दायर किया। बैंकों और वित्तीय संस्थानों के कारण ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 (बाद में अधिनियम, 1993 के रूप में संदर्भित) के अधिनियमित होने पर, मुकदमा ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) में स्थानांतरित कर दिया गया था, जिसे स्थानांतरण आवेदन संख्या 95/1995 के रूप में क्रमांकित किया गया था। डी.आर.टी ने दिनांक 03.03.2000 के आदेश के तहत उक्त आवेदन पर फैसला सुनाया और प्रतिवादी नंबर 1 और गारंटरों को संयुक्त रूप से और अलग-अलग खर्च सहित 44,01,159.47/- रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।

2.2 इसके बाद, ऋण सुविधा के तहत ऋण आवंटित किये गये थे अपीलकर्ता - बैंक के पक्ष में । बकाया राशि के कार्यभार के अनुसरण में, बैंक ने वित्तीय परिसंपत्तियों के

प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) की धारा 13 (2) के तहत निर्णय देनदार - प्रतिवादी नंबर 1 और अन्य पर अतिरिक्त ब्याज और खर्चों सहित रुपये 27,35,85,200.62/- के लिए एक मांग नोटिस दिनांक 20.06.2011 को जारी किया। अपीलकर्ता - बैंक द्वारा सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत कोई और उपाय किए जाने से पहले, प्रतिवादी नंबर 1 ने डीआरटी के प्रतिभूतिकरण आवेदन संख्या 94/2011 के समक्ष सरफेसी अधिनियम की धारा 17 के तहत एक आवेदन दायर किया। दिनांक 06.01.2015 के आदेश के तहत, वसूली अधिकारी ने प्रतिवादी नंबर 1 और गारंटरों द्वारा उठाई गई आपत्तियों को खारिज कर दिया। डीआरटी ने प्रतिभूतिकरण आवेदन संख्या 94/2011 को खारिज कर दिया।

2.3 अपीलकर्ता के अनुसार, अपीलकर्ता ने 16.07.2015 को सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत गिरवी रखी संपत्ति पर प्रतीकात्मक कब्जा कर लिया। प्रतिवादी नंबर 1 और गारंटर फिर से वसूली कार्यवाही में आपत्तियां उठाईं जिन्हें वसूली अधिकारी ने आदेश दिनांक 06.01.2015 द्वारा खारिज कर दिया। दिनांक 15.07.2016 के एक आदेश द्वारा, वसूली अधिकारी ने उक्त आवेदन की अनुमति दी और अपने पहले के आदेश दिनांक 06.01.2015 की समीक्षा/संशोधन किया। उक्त आदेश को अपीलकर्ता द्वारा डीआरटी के समक्ष अपील संख्या 6/2016 के माध्यम से चुनौती दी गई थी और लंबित थी।

2.4 इसके बाद, अपीलकर्ता ने विद्वान मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (सीएमएम) के समक्ष सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के तहत एक आवेदन भी दायर किया। आवेदन संख्या 256/2015, जिसे दिनांक 16.08.2016 के आदेश द्वारा अनुमति दी गई और बैंक को सुरक्षित संपत्तियों का भौतिक कब्जा लेने की अनुमति दी गई। बैंक द्वारा सरफेसी अधिनियम के तहत की गई कार्रवाइयों/उपायों से दुखी होकर, उधारकर्ता/प्रत्याभूतिदाता ने प्रतिभूतिकरण आवेदन संख्या 171/2016 के माध्यम से फिर से डीआरटी से संपर्क किया। इसके बाद, अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक विशेष आपराधिक आवेदन दायर किया, जिसमें विद्वान सीएमएम द्वारा आदेश के निष्पादन के लिए एक अधीनस्थ अधिकारी को नियुक्त नहीं करने की सीमा तक पारित आदेश को चुनौती दी गई। उच्च न्यायालय ने दिनांक 02.12.2016 के आदेश द्वारा उक्त विशेष आपराधिक आवेदन का निस्तारण कर दिया। उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 02.12.2016 को पारित आदेश के अनुसार, विद्वान सी.एम.एम ने उस न्यायालय के रजिस्ट्रार को विचाराधीन सुरक्षित संपत्ति पर कब्जा करने के लिए अधिकृत किया। इसके बाद प्रतिवादी नंबर 1 ने प्रतिभूतिकरण आवेदन संख्या 171/2016 में डी.आर.टी के समक्ष एक अंतरिम आवेदन दायर किया, जिसे खारिज कर दिया गया। प्रतिवादी नंबर 1 ने भी एक आपराधिक विविध आवेदन संख्या 643/2017

विद्वान सी.एम. एम के समक्ष दिनांक 16.12.2016 के आदेश स्पष्टीकरण हेतु दायर किया। उक्त आवेदन दिनांक 04.02.2017 के आदेश द्वारा निरस्त कर दिया गया।

2.5 उसके बाद, प्रतिवादी नंबर 1 ने उच्च न्यायालय के समक्ष विशेष दीवानी आवेदन संख्या 2763/2017 के तहत एक रिट याचिका दायर की, जिसमें वसुली अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.07.2016 के अनुपालन की मांग की गई (जिसके खिलाफ डी.आर.टी के समक्ष एक अपील लंबित थी) साथ ही आपराधिक विविध आवेदन संख्या 643/2017 में सी.एम.एम. द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.02.2017 और प्रतिभूतिकरण आवेदन संख्या 171/2016 में डीआरटी द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.01.2017 । इस प्रकार, प्रतिवादी नंबर 1 ने दो अलग-अलग अधिनियमों के तहत पारित तीन अलग-अलग प्राधिकारियों द्वारा पारित तीन अलग-अलग आदेशों को चुनौती दी। अपीलकर्ता ने अन्य बातों के अलावा, इस आधार पर उक्त विशेष दीवानी आवेदन का विरोध किया कि सरफेसी अधिनियम और अधिनियम, 1993 के तहत उपलब्ध वैकल्पिक उपायों के बिना, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं होगी। यह भी प्रस्तुत किया गया कि डी.आर.टी द्वारा पारित आदेशों और सरफेसी अधिनियम और अधिनियम, 1993 के तहत पारित आदेशों के खिलाफ भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं होगी। दिनांक 19.04.2021 के आदेश के तहत और उच्च न्यायालय के समक्ष उपरोक्त याचिका के लंबित रहने के दौरान, डीआरटी ने प्रतिभूतिकरण आवेदन संख्या 171/2016 को रुपये की खर्च के साथ खारिज कर दिया। 25,000/-. उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने बाद में विस्तृत निर्णय और आदेश दिनांक 07.10.2021 के माध्यम से उपरोक्त विशेष सिविल आवेदन संख्या 2763/2017 को अनुकरणीय खर्च रूपये 1,00,000/-.के साथ खारिज कर दिया। विद्वान एकल न्यायाधीश ने विशेष रूप से देखा कि उक्त कार्यवाही केवल प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा सरफेसी अधिनियम के तहत वसूली कार्यवाही को रोकने के लिए की गई थी। विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह भी कहा कि प्रतिवादी नंबर 1 डी.आर.टी द्वारा पारित डिक्री के बावजूद लगभग 21 वर्षों तक एक भी रुपये का भुगतान नहीं करने में सफल रहा।

2.6 विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट होकर, प्रतिवादी नंबर 1 ने उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष पेटेंट अपील दायर की। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने दिनांक 25.01.2022 के आक्षेपित एकपक्षीय विज्ञापन-अंतरिम आदेश द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में सुनवाई की अगली तारीख तक संपत्ति की बेदखली पर रोक लगाने का एकपक्षीय आदेश दिया और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा 1,00,000/- रुपये की लगाये गये जुर्माना का भुगतान पर रोक भी लगा दी।

2.7 उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा दिनांक 25.01.2022 को दिए गए एकपक्षीय विज्ञापन-अंतरिम रोक से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, बैंक ने एसएलपी (सी) संख्या 2228/22 से उत्पन्न वर्तमान अपील को दायर किया है। वर्तमान अपील 22.02.2022 को इस न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए आई और इस न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया -

"याचिकाकर्ता बैंक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अमर दवे ने हमें मुख्य याचिका (पृष्ठ 57-58) में मांगी गई/प्रार्थना की गई राहतों के बारे में बताया है। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि मुख्य रिट याचिका में मांगी गई कुछ राहतें डी.आर.टी द्वारा दिनांक 21.01.2017 को पारित अंतरिम आदेश थीं। यह प्रस्तुत किया गया है कि एक और राहत जो मांगी गई थी वह यह थी कि वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) के प्रवर्तन के तहत बैंक द्वारा शुरू की गई कार्यवाही अवैध है, जिसे समय-सीमा में रोक दिया गया है। बताया गया है कि डी.आर.टी के समक्ष कार्यवाही निस्तारित कर उसे खारिज कर दिया गया है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि रिकवरी अधिकारी द्वारा दिनांक 15.07.2016 को पारित आदेश, जिस पर उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने भरोसा जताया है, बैंक द्वारा दायर डी.आर.टी के समक्ष अपील का विषय है। यह प्रस्तुत किया गया है कि जैसा कि प्राधिकृत अधिकारी, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर और अन्य के मामले में इस न्यायालय द्वारा पारित किया गया था। फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड बनाम मैथ्यू के.सी. (2018) 3 एससीसी 85 और सी.ए. संख्या 257-259/2022 में इस न्यायालय का हालिया निर्णय - ।
विश्व भारती विद्या मंदिर और अन्य, सरफेसी अधिनियम के तहत शुरू की गई कार्यवाही और अंतरिम आदेश के खिलाफ भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं होगी। यह कहा गया है कि इस तरह का अंतरिम आदेश देकर, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने सरफेसी अधिनियम के तहत कार्यवाही को वस्तुतः रोक दिया है।

दिनांक 15.03.2022 तक वापस करने हेतु नोटिस जारी।

इसके अलावा, दस्ती की अनुमति है

इस बीच, उच्च न्यायालय की खंड पीठ या तो अंतिम रूप से एल.पी.ए पर निर्णय लेगी और उसका निपटान करेगी और कम से कम अंतरिम राहत के लिए आवेदन पर 09.03.2022 को या उससे पहले निर्णय लिया जाएगा और जो आदेश पारित किया जाएगा उसे पहले रखा जाएगा। यह अदालत सुनवाई की अगली तारीख पर है।"

2.8 ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान अपील और आदेश दिनांक 22.02.2022 के बारे में पता चलने पर, प्रतिवादी नंबर 1 ने उचित मंच के समक्ष उचित कार्यवाही दायर करने की स्वतंत्रता के साथ उपरोक्त पत्र पेटेंट अपील वापस ले ली। प्रतिवादी संख्या 1 - मूल अपीलकर्ता ने पिछले एकपक्षीय अंतःकालीन अंतरिम आदेश दिनांक 25.01.2022 को जारी रखने का भी अनुरोध किया, जो कि एस.एल.पी (सी) संख्या 2228/2022 से उत्पन्न सिविल अपील का विषय है, जो लंबित है। इस न्यायालय के समक्ष. उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने दिनांक 04.03.2022 के आक्षेपित आदेश (एसएलपी (सी) संख्या 4724/2022 से उत्पन्न सिविल अपील में आक्षेपित आदेश) के माध्यम से न केवल प्रतिवादी संख्या 1 को पत्र पेटेंट अपील वापस लेने की अनुमति दी, बल्कि इसे बढ़ा भी दिया। पूर्व में 14 मार्च, 2022 तक एकपक्षीय अंतःकालीन अंतरिम रोक लगाई गई थी। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा लगाई गई खर्च को 1,00,000/- से रु. 25,000/- रुपये को खंड पीठ ने भी उचित आदेश पारित कर कम कर दिया।

खंड पीठ ने यह भी प्रतिभूतिकरण आवेदन संख्या 171/2016 में ऋण वसूली न्यायाधिकरण द्वारा पारित दिनांक 19.04.2016 के आदेश पर पुनर्विचार करने जा रहा है, मामले को स्वतंत्र रूप से और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा की गई टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना निपटेगा। विशेष सिविल आवेदन संख्या 2763/2017 में पारित आदेश दिनांक 07.10.2021 के तहत और अपीलीय पीठ द्वारा लगाए गए खर्च के आदेश से प्रभावित हुए बिना पूर्व एकपक्षीय अंतःकालीन अंतरिम आदेश दिनांक 25.01.2022 को लेटर पेटेंट अपील संख्या 75/2022 में खंड पीठ द्वारा पारित किया गया था और लेटर पेटेंट अपील संख्या 75/2022 में पारित खंड पीठ के दिनांक 04.03.2022 के बाद के आदेश, वर्तमान अपीलों की विषय वस्तु हैं।

3. हमने एस.एल.पी (सी) संख्या 2228/2022 से उत्पन्न सिविल अपील में अपीलकर्ता - बैंक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अमर दवे और प्रतिवादी नंबर 1 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुश्री सोनम आनंद को सुना है। इस स्थिति में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि सेवा के बावजूद, संबंधित एस.एल.पी (सी) संख्या 4724/2022 में प्रतिवादी नंबर 1 की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है। इस न्यायालय ने मामले को पहले ही स्थगित कर दिया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रतिवादी संख्या 1 एस.एपी (सी) संख्या 4724/2022 में उपस्थति हुआ है कि नहीं, जब हमने विद्वान अधिवक्ता सुश्री सोनम आनंद से पूछताछ की, जो एस.एल.पी (सी) संख्या 2228/2022 से संबंधित मामले में प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से उपस्थित हो रही हैं, तो क्या उनके पास प्रतिवादी संख्या. 1, एस.एल.पी (सी) संख्या 2228/2022 की ओर से उपस्थित होने के लिए कोई निर्देश हैं। उसने न्यायालय में स्पष्ट रूप से कहा है कि यद्यपि उसने प्रतिवादी नंबर 1 को एस.एल.पी (सी) संख्या 4724/2022 के बारे में सूचित किया है, लेकिन उसके

पास एस.एल.पी वाले संबंधित मामले में प्रतिवादी नंबर 1 की ओर से उपस्थित होने के लिए कोई और निर्देश नहीं है। हम एक मामले में पेश होने और संबंधित मामले में पेश न होने के बावजूद प्रतिवादी नंबर 1 के आचरण की सराहना नहीं करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ से उनके द्वारा प्राप्त बाद के आदेश को ध्यान में रखते हुए, जो कि एसएलपी (सी) संख्या 4724/2022 का विषय है, लेटर पेटेंट अपील को पहले उचित कार्यवाही दायर करने की स्वतंत्रता के साथ वापस ले लिया गया है। उपयुक्त मंच और यह अवलोकन प्राप्त करना कि विशेष सिविल आवेदन संख्या 2763/2017 में पारित आदेश दिनांक 07.10.2021 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा की गई टिप्पणियों पर उपयुक्त मंच द्वारा विचार नहीं किया जा सकता है जिसके समक्ष कार्यवाही शुरू की जानी है जो कि भी है बाद की एसएलपी की विषय वस्तु, जानबूझकर प्रतिवादी नंबर 1 ने बाद की एसएलपी (सी) संख्या 4724/2022 में उपस्थित नहीं होने का विकल्प चुना है।

4. सबसे पहले, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि विशेष सिविल आवेदन संख्या 2763/2017 के माध्यम से वर्ष 2017 में प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा दायर की गई उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही, अदालत के दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं थी प्रक्रिया और केवल 1986 से देय और देय राशि की वसूली के लिए अपीलकर्ता - बैंक द्वारा शुरू की गई सरफेसी अधिनियम के तहत कार्यवाही में देरी करने की दृष्टि से। अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से, यह ध्यान दिया जाता है कि एक के बाद एक, कई कार्यवाही प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा दायर की गई थी। इस प्रकार, यह कहा जा सकता है कि प्रतिवादी नंबर 1 - मूल अपीलकर्ता द्वारा बैंक द्वारा दायर की गई सरफेसी अधिनियम के तहत कार्यवाही में देरी करने के लिए, देय और देय राशि साल 1986 से वसूली के लिए सभी प्रयास किया।

4.1 वर्ष 2017 में, सरफेसी अधिनियम के तहत उपलब्ध वैधानिक उपायों के बावजूद, प्रतिवादी नंबर 1 ने उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष एक रिट याचिका दायर की और निम्नलिखित राहत के लिए प्रार्थना की -

"बी) आपका आधिपत्य परमादेश रिट जारी करने में प्रसन्न हो सकता है और प्रतिवादी बैंक को निर्देश दे सकता है कि वह सरफेसी अधिनियम के तहत तब तक आगे न बढ़े जब तक कि वे आरपी नंबर 360 में रिकवरी अधिकारी दिनांक 15-7-2016 द्वारा पारित आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं। इस याचिका के अनुबंध-ज्ञ पर।

सी) माननीय न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश दिनांक 04-02-2017 को रद्द करने और रद्द करने के लिए सर्टिओरारी या किसी अन्य उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करने में आपकी कृपा की जाए।

मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, अहमदाबाद जैसा कि इस याचिका के अनुबंध-ए के रूप में ऊपर संलग्न है।

डी) माननीय ऋण वसूली न्यायाधिकरण, अहमदाबाद द्वारा पारित दिनांक 21-1-2017 के आदेश को रद्द करने और रद्द करने के लिए सर्टिओरारी या किसी अन्य उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करने में आपकी कृपा की जाए। जैसा कि ऊपर संलग्न है। इस याचिका का अनुबंध-बी.
ई) यह घोषित करने में प्रसन्नता हो रही है कि माननीय ऋण वसूली न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 21-1-2017 को पारित आदेश त्रुटिपूर्ण है, बिना किसी निष्कर्ष के, बिना किसी कारण के और यहां ऊपर संलग्न अंतरिम आवेदन में दिए गए तर्कों और कथनों के बिंदुओं पर विचार न करने के कारण त्रुटिपूर्ण है। इस याचिका के अनुलग्नक-ओ. के रूप में और तर्कों का प्रचार किया गया।

एफ) माननीय न्यायाधीश परमादेश रिट जारी करने कृपा की जाए और यह घोषणा करने की कृपा की जाए कि सरफेसी अधिनियम के तहत प्रतिवादी बैंक की उक्त कार्यवाही समय-बाधित है।

जी) माननीय न्यायाधीश परमादेश जारी करने या रिट जारी करने कृपा की जाए और इस याचिका के लंबित प्रवेश, सुनवाई और अंतिम निपटान को पकड़ने और घोषित करने कृपा की जाए, प्रभाव, संचालन पर रोक लगाने की कृपा की जाए।
और माननीय मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, अहमदाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 16-12-2016 का कार्यान्वयन किया जाए।

एच) इस याचिका के लंबित प्रवेश, सुनवाई और अंतिम निपटान के लिए कृपया उत्तरदाताओं को आवासीय संपत्ति संख्या 212-2013, आजाद सोसाइटी, अंबावाड़ी, अहमदाबाद, जिसकी कुल 378 वर्ग मीटर है, के लिए यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया जाए। जोकि उस भूखंड याचिकाकर्ता के भौतिक कब्जे में है।

आई) पैरा 9 (एच) के संदर्भ में एकपक्षीय अंतःकालीन अंतरिम राहत।

जे) इस याचिका की खर्च प्रदान किया जाता है।

के) कोई अन्य राहत, आदेश या निर्देश जो याचिका के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और न्यायसंगत हो। विस्तृत निर्णय और आदेश के बाद और उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान पारित बाद के आदेश पर ध्यान देने के बाद और प्रतिभूतिकरण को खारिज करने वाले डीआरटी/उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा पारित बाद के आदेश पर ध्यान देने के बाद रुपये की खर्च के साथ आवेदन. 25,000/- विद्वान एकल न्यायाधीश ने विस्तृत निर्णय और आदेश द्वारा रिट याचिका को 1,00,000/- रुपये की अनुकरणीय खर्च के साथ खारिज कर दिया।

4.2 वास्तव में, प्रतिभूतिकरण आवेदन को खारिज करते समय, डीआरटी ने पैराग्राफ 31 से 33 में टिप्पणियाँ कीं, जो इस प्रकार हैं -

"31. यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि बैंक ने वर्ष 1986 में वसूली कार्यवाही दायर की थी और अब हम वर्ष 2021 में हैं। बैंक ने बंधक संपत्तियों और वटवा में स्थित एक संपत्ति की बिक्री के माध्यम से कानून की प्रक्रिया के माध्यम से आंशिक वसूली की। कुल वसूली योग्य बकाया राशि की तुलना में बरामद की गई राशि विलय राशि है। मांगपत्र जारी होने की तारीख पर, बैंक ने 27,35,85,200.62 रुपये का दावा किया, जबकि वसूली गई राशि लगभग 9,33,031.20 रुपये थी। आवेदकों ने सार्वजनिक धन की वसूली की प्रक्रिया में बाधा डालने के लिए हर संभव प्रयास किया। बैंक ने मांगपत्र में प्रतिभूतियों के रूप में तीन परिसंपत्तियों के विवरण का उल्लेख किया है, लेकिन केवल एक संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई की है। मेरी राय में, यदि बैंक ने सभी प्रतिभूतियों का विवरण दिया है, हालाँकि कुछ प्रतिभूतियाँ बैंक द्वारा न्यायालय की प्रक्रिया के माध्यम से पहले बेची गई थीं और वसूल की गई राशि का श्रेय उधारकर्ता के खाते में अपनी अंतिम मांग के तहत दिया गया है। मांगपत्र, पहले से बेची गई प्रतिभूतियों का संदर्भ मांगपत्र को दोषपूर्ण नहीं बनाएगा। तो उस हिसाब से भी, मुझे प्रतिभूतिकरण आवेदन में कोई योग्यता नहीं दिखती।

32. इस प्रकार के वादियों पर अंकुश लगाने का अब समय आ गया है, जो अपने लाभ के लिए, सुरक्षित ऋणदाता को नुकसान पहुंचाने के लिए और न्यायालयों को गुमराह करने की दृष्टि से आंशिक जानकारी देते या देते हैं और आंशिक जानकारी छिपाते हैं। जिन आवेदकों ने पहले सरफेसी अधिनियम, 2002 दायर किया था, उन्हें श्रीमती की मृत्यु के संबंध में ऐसे सभी तथ्यों का खुलासा करना आवश्यक था। कोकिलाबेन एन. त्रिवेदी और पहले उपलब्ध अवसर पर दो सुरक्षित संपत्तियों की बिक्री के संबंध में अन्य सभी तथ्य, जो कि मांगपत्र के खिलाफ दायर आपत्तियों और पहले दायर प्रतिभूतिकरण आवेदन में हैं, लेकिन आवेदकों ने श्रीमती कोकिलाबेन एन त्रिवेदी करीब 15 साल तक की मृत्यु के तथ्य को छुपाया।। बहस के समय आवेदकों द्वारा सिविल सूट के लंबित रहने के दौरान बैंक द्वारा की गई वसूली के संबंध में महत्वपूर्ण और भौतिक जानकारी का गैर-प्रकटीकरण और ऐसी जानकारी और मामले को

छिपाना, यह दर्शाता है कि आवेदक विधिवत इस न्यायाधिकरण में नहीं आए हैं। शुरुआती दलीलें भी मुकदमे की लंबित कार्यवाही के दौरान बाद का आचरण इतना निष्पक्ष होना चाहिए कि न्याय वितरण प्रणाली न्यायालयों को मामलों को विवेकपूर्ण तरीके से निपटाने में सक्षम बनाया जा सके। आवेदकों के दृष्टिकोण से पता चलता है कि आवेदकों ने जानबूझकर मामले के निष्पक्ष निर्णय को खतरे में डालने के लिए काम किया। एक बार जब आवेदक इस न्यायाधिकरण में स्पष्ट रूप से नहीं आए हैं, तो वे योग्यता के आधार पर किसी भी राहत के हकदार नहीं हैं। हम 2012(4) आर.सी.आर.(सिविल) 588 में रिपोर्ट किए गए वी.चंद्रशेखरन बनाम प्रशासनिक अधिकारी के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा कर सकते हैं, जो वर्तमान मामले पर पूरी तरह से लागू है। आवेदक अपने ऐसे आचरण के लिए खर्च का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं।

33. ऐसे सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, प्रतिभूतिकरण आवेदन को 25,000/- रुपये की खर्च के साथ खारिज किया जाता है, इसके अलावा बैंक को बचाव के लिए किए गए सभी खर्चों की वसूली का अधिकार भी है।

प्रतिभूतिकरण प्रक्रिया की वैधता पर सवाल उठाने के लिए आवेदकों द्वारा दायर याचिका। खर्च को राष्ट्रीय रक्षा निधि के खाता संख्या 11084239799 भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली मुख्य शाखा (00691) में जमा करना होगा और 7 दिनों के भीतर इस न्यायाधिकरण के आदेशों के अनुपालन में एक पक्ष दाखिल करना होगा। प्रतिवादी बैंक कानून के अनुसार आगे बढ़ सकता है।

इसके बाद विद्वान एकल न्यायाधीश ने विशेष सिविल आवेदन संख्या 2763/2017 वाली उपरोक्त रिट याचिका को पैराग्राफ 24 में निम्नानुसार देखते हुए खारिज कर दिया -

"24. डीआरटी द्वारा किये गये तथ्यों के विवरण से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता का एक ही लक्ष्य है कि वर्ष 2000 में डीआरटी द्वारा पारित डिक्री के बाद एक भी रुपया न देना। याचिकाकर्ता लगभग 21 वर्षों से सफल है। डीआरटी द्वारा पारित डिक्री के अनुसार बकाया राशि की किसी भी राशि का भुगतान नहीं करने पर, जिसे अंतिम रूप दे दिया गया है। ऐसी परिस्थितियों में, आगे के तथ्यों पर ध्यान दिए बिना और डीआरटी के निष्कर्ष पर विचार किए बिना, जो चुनौती के अधीन नहीं है और जिसने अंतिम निष्कर्ष प्राप्त कर लिया है, याचिका रुपये के जुर्माने के साथ खारिज कर दी जाती है। 1 लाख रूपये खर्च की राशि इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से चार सप्ताह की अवधि के भीतर गुजरात राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के पास जमा किया जाना है।

4.3 विशेष सिविल आवेदन संख्या 2763/2017 वाली रिट याचिका में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित विस्तृत निर्णय और आदेश दिनांक 07.10.2021 के खिलाफ रुपये की खर्च के साथ रिट याचिका को 1,00,000/- रूपये के खर्च पर खारिज कर दिया गया। प्रतिवादी नंबर 1 ने खंड पीठ के समक्ष लेटर पेटेंट अपील दायर की। विशेष सिविल आवेदन संख्या 2763/2017 में दिनांक 07.10.2021 के विस्तृत निर्णय और आदेश में उल्लेखित विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा की गई कड़ी टिप्पणियों के बावजूद खंड पीठ ने लेटर पेटेंट अपील पर विचार किया। खंड पीठ ने न केवल उक्त लेटर पेटेंट अपील पर विचार किया, बल्कि एकपक्षीय अंतःकालीन अंतरिम राहत भी दी, संपत्ति के बेदखली के खिलाफ रोक लगा दी, यानी विचाराधीन संपत्ति पर कब्जा नहीं करने के साथ-साथ 1,00,000/- रुपये की खर्च लगाने के खिलाफ भी रोक लगा दी। दिनांक 25.01.2022 का एकपक्षीय अंतःकालीन अंतरिम आदेश एसएलपी (सी) संख्या 2228/2022 के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष विषय वस्तु है। इसे तत्काल संदर्भ के लिए निम्नानुसार निकाला गया है

["1. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री यतिन ओझा को विद्वान के साथ
अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता सुश्री मिनिषा शर्मा को सुना।
वसूली अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 15/07/2016 पारित किया गया, जिसके द्वारा अपीलकर्ता द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर विचार किया गया और उन्हें पारित कर दिया गया। निम्नलिखित आदेश
(1) सीडी नंबर 2 और 3 द्वारा दायर आपत्तियां प्रदर्श डी/60 उपरोक्त आपत्तियों के अनुसार स्वीकार्य हैं।

(2) सीएच बैंक को इस खाते सहित सीडी के खातों में वसूली का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें उनके द्वारा वसूल की गई पूरी राशि का स्पष्ट विभाजन और इसके विनियोग को खातों के विवरण के साथ विधिवत समर्थित किया गया है।

(3) सी.एच. बैंक को मृत सीडी के कानूनी उत्तराधिकारियों का पता लगाने और उन्हें शामिल करने/रिकॉर्ड में लाने के लिए कदम उठाने का भी निर्देश दिया गया है।

(4) सी.एच. बैंक को संपूर्ण वसूली में कटौती करने और वसूली की तारीखों पर इसका प्रभाव डालने के बाद नए सिरे से बकाया राशि निर्धारित करनी होगी और तदनुसार नया मांग नोटिस जारी करने के लिए कदम उठाना होगा।

2. उक्त निर्णय के खिलाफ बैंक ने ऋण वसूली न्यायाधिकरण के समक्ष अपील की है, जो सुनवाई के लिए लंबित है।

3. हमने याचिका में दिए गए आदेश का भी अध्ययन किया है।

इसे 23/02/2022 तक वापस करने हेतु नोटिस जारी करें।

दीवानी आवेदन (अंतरिम राहत के लिए) संख्या. 1/2022 में

दिनांक 23/02/2022 तक नोटिस वापस करने हेतु निर्गत करें। सुनवाई की अगली तारीख तक, संपत्ति को बेदखल करने यानी विचाराधीन संपत्ति पर कब्जा न करने पर रोक रहेगी, साथ ही वर्तमान अपीलकर्ता / मूल याचिकाकर्ता पर 1,00,000/- रुपये की खर्च लगाने पर भी रोक रहेगी। सीधी सेवा की अनुमति प्रदान की जाती है।
4.4 एसएलपी (सी) संख्या 2228/2022 से उत्पन्न वर्तमान सिविल अपील में नोटिस जारी करते समय, इस न्यायालय ने एक विस्तृत आदेश पारित किया जो इस प्रकार है -
"याचिकाकर्ता बैंक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अमर दवे ने हमें मुख्य रिट याचिका (पृष्ठ 57-58) में मांगी गई/प्रार्थना की गई राहतों के बारे में बताया है। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि मुख्य रिट याचिका में मांगी गई कुछ राहतें डीआरटी द्वारा दिनांक 21.01.2017 को पारित अंतरिम आदेश थीं। यह प्रस्तुत किया गया है कि एक और राहत जो मांगी गई थी वह यह थी कि वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) के प्रवर्तन के तहत बैंक द्वारा शुरू की गई कार्यवाही अवैध है, जिसे समय-सीमा में रोक दिया गया है। बताया गया है कि डीआरटी के समक्ष कार्यवाही निस्तारित कर उसे खारिज कर दिया गया है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि वसुली अधिकारी द्वारा दिनांक 15.07.2016 को पारित आदेश, जिस पर उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने भरोसा जताया है, बैंक द्वारा दायर डीआरटी के समक्ष अपील का विषय है। यह प्रस्तुत किया गया है कि जैसा कि प्राधिकृत अधिकारी, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर और अन्य के मामले में इस न्यायालय द्वारा आयोजित किया गया था। बनाम मैथ्यू के.सी. (2018) 3 एससीसी 85 और सीए संख्या 257-259/2022 में इस न्यायालय का हालिया निर्णय - फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड बनाम विश्व भारती विद्या मंदिर और अन्य, सरफेसी अधिनियम के तहत शुरू की गई कार्यवाही और अंतरिम आदेश के खिलाफ भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं होगी। यह प्रस्तुत किया गया है कि इस तरह का अंतरिम आदेश देकर, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने सरफेसी अधिनियम के तहत कार्यवाही को वस्तुतः रोक दिया है।
जारी नोटिस 15.03.2022 को वापस किया जाएगा।

इसके अलावा, दस्ती की अनुमति है।

इस बीच, उच्च न्यायालय की खंड पीठ या तो अंतिम रूप से एलपीए पर निर्णय लेगी और उसका निपटान करेगी और/या कम से कम अंतरिम राहत के लिए आवेदन पर 09.03.2022 को या उससे पहले निर्णय लिया जाएगा और जो आदेश पारित किया जाएगा उसे पहले रखा जाएगा। यह अदालत सुनवाई की अगली तारीख पर है।" प्रतिवादी नंबर 1 अपने अधिवक्ता श्री संतोष कृष्णन के माध्यम से उपस्थित हुआ, जिन्होंने 08.02.2022 को वकालतनामा दाखिल किया।

4.5 एसएलपी (सी) संख्या 2228/2022 से उत्पन्न वर्तमान सिविल अपील के लंबित होने के बावजूद और ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान एसएलपी (सी) संख्या 2228/2022 को निरर्थक बनाने की दृष्टि से, एक गणनात्मक चाल में, प्रतिवादी नंबर 1 ने उचित मंच के समक्ष उचित कार्यवाही दायर करने की स्वतंत्रता के साथखंड पीठ के समक्ष लेटर पेटेंट अपील वापस ले ली। खंड पीठ ने अंतःकालीन अंतरिम राहत भी बढ़ा दी, जो पहले आदेश दिनांक 25.01.2022 द्वारा दी गई थी, 14.03.2022 तक, इस तथ्य के बावजूद कि दिनांक 25.01.2022 के पूर्व-पक्षीय अंतःकालीन अंतरिम आदेश के खिलाफ एसएलपी इस न्यायालय के समक्ष लंबित थी और इस न्यायालय को मामले से अवगत कराया गया। दुर्भाग्य से, और परिणामों की ठीक से सराहना किए बिना और यहां तक कि एससीए नंबर 2763/2017 वाली रिट याचिका को खारिज करते समय विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा की गई कड़ी टिप्पणियों पर विचार किए बिना, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने न केवल प्रतिवादी नंबर 1 को अनुमति दे दी है। बल्कि मूल अपीलकर्ता ने लेटर पेटेंट अपील वापस ले ली है, लेकिन पहले दी गई एकपक्षीय अंतरिम राहत को 14.03.2022 तक बढ़ा दिया है और खर्च भी घटाकर रु 1,00,000/- रुपये से. 25,000/- कर दी है। खंड पीठ ने पैराग्राफ 4 में यह भी देखा है कि उपयुक्त फोरम जो केस नंबर एस.ए. 171/2016 में ऋण वसूली न्यायाधिकरण -1, अहमदाबाद द्वारा पारित दिनांक 19.04.2016 के आदेश की जांच करने जा रहा है, मामले को स्वतंत्र रूप से और बिना निपटाएगा। विशेष सिविल आवेदन संख्या 2763/2017 में पारित आदेश दिनांक 07.10.2021 के तहत विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा की गई टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना और इस अपीलीय पीठ द्वारा लगाए गए जुर्माने के आदेश से प्रभावित हुए बिना। तत्काल संदर्भ के लिए उपरोक्त आक्षेपित आदेश दिनांक 04.03.2022 का प्रासंगिक भाग निम्नानुसार उल्लेखित किया गया है।

["3. ....संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा की गई दलीलों पर विचार करने के बाद, हम निम्नलिखित आदेश पारित करते हैंरू

(i) अपीलकर्ता को उचित मंच के समक्ष उचित कार्यवाही दायर करने की स्वतंत्रता के साथ वर्तमान अपील वापस लेने की अनुमति है।

(ii) सुनवाई की अगली तारीख तक, अंतरिम राहत, यदि कोई दी गई है और जो अस्तित्व में है, 14.03.2022 तक बढ़ा दी गई है।
(iii) जहां तक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा लगाई गई खर्च का सवाल है, इसे घटाकर 25,000/- रुपये (केवल पच्चीस हजार रुपये) कर दिया गया है और इसका भुकतान प्रतिवादी नंबर 1 को आरटीजीएस द्वारा 11.03.2022 या उससे पहले किया जाएगा।

4. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि उपयुक्त फोरम, जो केस नंबर एस.ए. 171/20216 में ऋण वसूली न्यायाधिकरण - 1, अहमदाबाद द्वारा पारित दिनांक 19.04.2016 के आदेश की जांच करने जा रहा है, इस मामले को स्वतंत्र रूप से निपटाएगा। विशेष सिविल आवेदन संख्या 2763/2017 में पारित आदेश दिनांक 07.10.2021 के तहत विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा की गई टिप्पणियों से बिना प्रभावित हुए और इस अपीलीय पीठ द्वारा लगाए गए जुर्माने के आदेश से बिना प्रभावित हुए ।

5. लेटर पेटेंट अपील में पारित आदेश के मद्देनजर, वर्तमान सिविल आवेदन जीवित नहीं है। तदनुसार, उसका निपटारा किया जाता है।

4.6 सबसे पहले, हम लेटर पेटेंट अपील को वापस लेने में प्रतिवादी नंबर 1 के आचरण की निंदा करते हैं, इस तथ्य के बावजूद कि इस न्यायालय ने उस मामले को जब्त कर लिया था जिसमें पूर्व-पक्षीय विज्ञापन-अंतरिम आदेश दिनांक 25.01.2022 पारित किया गया था। खंड पीठ को चुनौती दी गई थी और जिसमें प्रतिवादी नंबर 1 इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो रहा था। उन्हें लेटर पेटेंट अपील वापस नहीं लेनी चाहिए थी और इस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही को निष्फल नहीं बनाना चाहिए था। जैसा कि यहां ऊपर देखा गया है, प्रतिवादी नंबर 1 - मूल अपीलकर्ता की ओर से लेटर पेटेंट अपील को वापस लेने का ऐसा कार्य और इस तरह इस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही को निष्फल बना दिया गया है ताकि दिनांक 22.02.2022 के आदेश के बाद विवादित आदेश की शुद्धता पर निर्णय से बचा जा सके। इस न्यायालय द्वारा जो पारित किया गया वह पूरी तरह से निंदनीय है।
4.7 अन्यथा भी, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा कई कार्यवाही शुरू की गईं, जिसके द्वारा उसने सरफेसी अधिनियम के तहत बैंक द्वारा शुरू की गई कार्यवाही में देरी की है, और वसूली कार्यवाही को रोक दिया है। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अपने फैसले में पुनः प्रस्तुत किए गए पहले के आदेश में निर्णायक प्राधिकारी द्वारा की गई कड़ी टिप्पणियों और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा की गई मजबूत टिप्पणियों के बावजूदखंड पीठ को शुरू में एक पक्षीय मंजूरी देना उचित नहीं था। अंतरिम राहत और उसके बाद, लेटर पेटेंट अपील को वापस लेने पर भी इसे जारी रखना।

4.8 यहां तक कि खंड पीठ ने यह भी कहा कि उपयुक्त फोरम, जो 2016 के केस नंबर एस.ए. 171 में डीआरटी-1, अहमदाबाद द्वारा पारित दिनांक 19.04.2016 के आदेश की जांच करने जा रहा है, इस मामले को स्वतंत्र रूप से और बिना निपटाएगा। 2017 के विशेष सिविल आवेदन संख्या 2763 में पारित आदेश दिनांक 07.10.2021 के तहत विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा की गई टिप्पणियों से प्रभावित होना और लगाए गए खर्च के आदेश से प्रभावित हुए बिना भी जुर्माना लगाया जाना अस्थिर है। लेटर पेटेंट अपील को वापस लेने की

अनुमति देते समय की गई ऐसी टिप्पणियाँ वास्तव में अपील की अनुमति देने और डीआरटी के साथ-साथ विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेशों को रद्द करने के समान हैं। एक बार लगभग चार वर्षों तक अंतरिम आदेशों के फल का आनंद लेने के बाद और कई अन्य कार्यवाही शुरू करने के बीच (रिट याचिका की लंबितता के दौरान भी) और उसके बाद, योग्यता के आधार पर रिट याचिका में आदेश आमंत्रित किया गया और जब विद्वान एकल न्यायाधीश ने खारिज कर दिया खर्च के साथ रिट याचिकाखंड पीठ को रिट याचिका खारिज करते समय विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा की गई कड़ी टिप्पणियों को रद्द करने वाला आदेश पारित नहीं करना चाहिए था। वास्तव मेंखंड पीठ ने भी गुण-दोष के आधार पर विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश पर विचार नहीं किया, लेकिन अपील वापस लेने की अनुमति देते हुए भी राहत दी है। वादी की ओर से ऐसा आचरण एक बार कई वर्षों तक मुकदमेबाजी के फल का आनंद लेने के लिए, गुण-दोष के आधार पर आदेश को आमंत्रित करता है, जो उसके खिलाफ है और अपील में शुरू में एक-पक्षीय विज्ञापन-अंतरिम राहत प्राप्त करने के बाद और उसके बाद, होने पर। एहसास हुआ कि इसे बरकरार नहीं रखा जाएगा, अपील वापस लेते हुए और अनुरोध किया कि रिट याचिका को खारिज करते समय विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा की गई टिप्पणियों पर विचार नहीं किया जा सकता है, उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता है और ऐसा आचरण निंदनीय है।

4.9 एक बार जब खंड पीठ ने गुण-दोष के आधार पर विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया, तो उसके बादखंड पीठ के लिए अपीलकर्ता को अनुमति देने वाला आदेश पारित करना खुला नहीं था -

प्रतिवादी नंबर 1 को लेटर पेटेंट अपील को वापस लेना होगा और यह भी टिप्पणी करनी होगी कि रिट याचिका को खारिज करते समय डीआरटी के साथ-साथ विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी को नजरअंदाज किया जाएगा और/या उस पर विचार नहीं किया जाएगा। खंड पीठ के केन. इस तरह की प्रथा को अनुमति देना न केवल अदालत के सामने एक मौका लेने के समान होगा, बल्कि वास्तव में अटकलें और अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। न्यायालय के समक्ष कार्यवाही वादियों द्वारा मौका लेने के लिए नहीं है।

हम यह समझने में विफल हैं कि किस आधार पर उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने एक तरफ अपीलकर्ता को राहत देते हुए लेटर पेटेंट अपील को वापस लेने की अनुमति दी।

5. इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.03.2022, जहां तक पैराग्राफ 3(i), 3(ii), 3(iii) और 4, टिकाऊ नहीं है।

6. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और ऊपर बताए गए कारणों से, एसएलपी (सी) संख्या 2228/2022 से उत्पन्न सिविल अपील को निरर्थक मानते हुए निपटाया जाता है। अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा लेटर पेटेंट अपील संख्या 75/2022 में पैराग्राफ 3(ii), 3(iii) और पैराग्राफ 4 के संदर्भ में दिनांक 04.03.2022 को पारित आदेश जिसे निम्नानुसार पढ़ा जाए, इसे रद्द किया जाता है -

3 (ii) सुनवाई की अगली तारीख तक, अंतरिम राहत, यदि कोई दी गई है और जो अस्तित्व में है, 14.03.2022 तक बढ़ा दी गई है।

3 (iii) जहां तक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा लगाई गई खर्च का सवाल है, इसे घटाकर 25,000/- रुपये (पच्चीस हजार रुपये मात्र) कर दिया गया है और इसका भुगतान प्रतिवादी नंबर 1 को आरटीजीएस द्वारा किया जाएगा। 11.03.2022 से पहले।

4. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि उपयुक्त फोरम, केस नंबर एस.ए. 171/2016 में ऋण वसूली न्यायाधिकरण -1, अहमदाबाद द्वारा पारित दिनांक 19.04.2016 के आदेश की जांच करने जा रहा है, इस मामले को स्वतंत्र रूप से निपटाएगा। विशेष सिविल आवेदन संख्या 2763/2017 में पारित आदेश दिनांक 07.10.2021 के तहत विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा की गई टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना और इस अपीलीय पीठ द्वारा लगाए गए जुर्माने के आदेश से प्रभावित हुए बिना। इसके अलावा लेटर पेटेंट अपील में दिया गया एकपक्षीय अंतरिम आदेश भी निरस्त हो गया है। एसएलपी (सी) संख्या 2228/2022 और एसएलपी (सी) संख्या 4724/2022 से उत्पन्न वर्तमान सिविल अपीलों को उपरोक्त सीमा तक खर्च के साथ स्वीकृत/निप्टारा किया जाता है, जो 1,00,000/-रुपये में निर्धारित है। प्रतिवादी नंबर 1 को आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर गुजरात उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति के पास जमा किया जाये।

दिव्या पांडे और अमरेंद्र कुमार
(सहायता- अदनान खान, एलसीआरए)

अपीलें निस्तारित।

एस.डी. त्रिपाठी
डी.जे.-1 जामताड़ा